क्रम-संख्या--679

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1989

चैत्र 17, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 711/सत्रह-वि—1-1 (क) 9-89

लखनऊ, 7 अप्रैल, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 7 अप्रैल, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1989)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1939 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (2-क) में, शब्द और अंक "ऐसे विघटन के दिनांक से 31 दिसम्बर, 1988 तक" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि, जहां तक हो सके दूसरी समिति का पुनः संघटन ऐसे विघटन या अवक्रमण के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा 3 जून, 1986 को समिति का विघटन करने के परिणामस्वरूप दूसरी समिति का संघटन 30 जून, 1989 तक किया जा सकता है।"

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 711(2)/XVII-V—1-1(Ka) 9-89

Dated Lucknow, April 7, 1989

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Badrinath tatha Shri Kedarnath Mandir (Sansho dhan) Adhini am, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Saukhya 11 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 7, 1988:

THE UTTAR PRADESH SHRI BADRINATH AND SHRI KEDARNATH TEMPLES (AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. ACT NO. 11 OF 1988)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1988.

Amendment of section 11 of U.P. Act No. 16 of 1939

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939,—

(*a*) in sub-section (2-A), the word and figures "within a period ending with December 31, 1988 from the date of such dissolution" shall be *omitted*;

(*b*) in sub-section (3), the following provisions shall be *inserted*, namely :—

"Provided that so far as may be, the other Committee shall be constituted within a period of six months from the date of such dissolution or supersession :

Provided further that consequent upon the dissolution of the Committee by the State Government on June 3, 1986, the other Committee may be constituted by June 30, 1989."

By order,
NARAYAN DAS.
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 15 सा० (विधा०)—(174)—1989—850 (मेक०)।